महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 72वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 72वीं बैठक दिनांक 10.07.2023 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित उपनिषद् कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1.	प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. ऋतु माथुर, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन	सदस्य
3.	प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	सदस्य
4.	प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
5.	प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
6.	प्रो. आशीष भट्नागर, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
7.	प्रो. गीता शर्मा, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य
8.	प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	सदस्य
9.	प्रो. शमा खान, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
10.	प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग	सदस्य
11.	प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग	सदस्य
13.	प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
14.	प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	सदस्य
15.	डॉ0 सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर ।	सदस्य
16.	मोहम्द इदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला-टौंक।	सदस्य
17.	कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-</u>

1.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
2.	आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य
3.	डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय	सदस्य
4.	डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	सदस्य
5.	डॉ. अमित गुप्ता, सह-आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय साईंस कॉलेज, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया । समय की अल्पता के कारण विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30 जून, 2022 का कार्यवृत्त पटल पर ही सदस्यों को दिया गया तथा सभी सदस्यों को उक्त कार्यवृत्त पढ़ने हेतु पर्याप्त समय दिया गया । तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय के द्वारा कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1) (पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ।)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	उक्त कार्यवृत्त की निम्न प्रेक्षण के साथ पुष्टि की गयी:- 1. **<u>निर्णय संख्या 04</u>** की दूसरी पंक्ति में अंकित **"संचालित पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम को यथावत लागू रखा जाय।"** के स्थान पर **"संचालित पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में यथावत लागू रखा जाय तथा विश्वविद्यालय परिसर में इसे स्थगित रखा जाय ।"** पढ़ा जाय साथ ही निर्णय के अंत में जोड़ा जाय कि- **"प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने PG Diploma in Artificial Intelligence and Data Science (PGD AI & DS) प्रारम्भ किये पर सहमति जतायी । (Note of dissent परिशिष्ट-1)"** 2. **<u>मद संख्या 09</u> में अंकित "Integrated" शब्द को विलोपित माना जाय ।** 3. **<u>निर्णय संख्या 11</u> की** पांचवी, छठीं एवं सातवीं पंक्ति में अंकित **"मापदण्ड (Criteria)"** शब्द को **"दिशा-निर्देश"** पढ़ा जाय तथा बिन्दु संख्या 01 में अंकित **"विषय विशेष"** शब्द को **"विषय विशेषज्ञ"** पढ़ा जाय । 4. **<u>निर्णय संख्या 15</u>** के <u>बिन्दु संख्या 01</u> को **"डी.आर.सी. बनायी जाय"** के स्थान पर **"डी.आर.सी./आर.आर.सी. बनायी जाय ।" पढ़ा जाय** । <u>बिन्दु संख्या 04 पर</u> **प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जतायी** साथ ही **पांचवा बिन्दु जोड़ा जाय कि- "5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा शोध मूल्यांकन हेतु पैनल बनाने के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया को म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर में लागू किया जाय ।"**	

मद सं0 02	नई शिक्षा नीति-2020 को सत्र 2023-24 से लागू किये जाने के माननीय राज्यपाल एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त विषयों के पाठ्यक्रमों को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में लागू किया जाना है । अतः विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति से प्राप्त कार्यवृत्त एवं पाठ्यक्रमों की संस्तुति किये जाने एवं जिन विषयों के पाठ्यक्रम तैयार नहीं है उन पाठ्यक्रमों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के द्वारा नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार तैयार किये गये स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को यथावत ही विश्वविद्यालय में लागू किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	नोडल अधिकारी-NEP / शैक्षणिक-I
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं के अनुसार नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किये गये स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को स्वीकार किया गया साथ ही अंक विभाजन या किसी अन्य सुझाव/समस्या के निराकरण हेतु एक समिति का गठन किया गया । जिसकी अनुशंसाओं पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया । उक्त कार्य हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-** 1. **प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय** 2. **प्रो. सुब्रतो दत्ता, परीक्षा नियंत्रक** **उक्त समिति दो सप्ताह में अपनी अनुशंसा तैयार कर माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी ।**	
मद सं0 03	विद्या परिषद् की 69वीं बैठक दिनांक 30.09.2022 के मद संख्या 22 पर निम्नानुसार मद प्रस्तुत किया गया था:- **''विभागों को विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप से संबंधित एस.एस.ओ. आई.डी. एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था के तहत कराया जाना प्रस्तावित है क्योंकि विश्वविद्यालय में शिक्षकों को एक से ज्यादा विभागों का दायित्व इंचार्ज के रूप में सौंपा गया है तथा समय-समय पर यह दायित्व परिवर्तित (इंटरचेंज) भी होते रहते हैं साथ ही लेख है कि राज्य सरकार द्वारा एक विभाग के शिक्षक को एक ही विभाग के स्कॉलरशिप की एस.एस.ओ.आई.डी. स्वीकृत की जाती है ऐसी स्थिति में छात्र स्कॉलरशिप के लिए परेशानी का सामना करते हैं**	विभागाध्यक्ष, विधि विभाग/ शैक्षणिक-II

	एवं वंचित भी रहते है । ऐसी स्थिति में शिक्षकों की कमी और उन पर बढ़ रहे दायित्व एवं अतिरिक्त दायित्व इंचार्ज के रूप में बदलाव के मद्देनजर एक केन्द्रीकृत व्यवस्था विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप के लिए पूर्व (लगभग चार-पांच वर्ष पूर्व) की भांति किये जाने साथ ही उक्त कार्य पूर्व की भांति किसी अधिकारी को सौंपे जाने पर विचार कर निर्णय करना ।'' ''उक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने संबंधी कार्य किये जाने हेतु संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण को अधिकृत किया गया तथा इस कार्य में सहयोग करने हेतु पूर्व में कार्यरत कार्मिक को छात्र कल्याण केन्द्र में **Attach** किया जाय ।'' विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 में उक्त निर्णय के क्रम में संबंधित विभाग/अनुभाग से प्राप्त अनुपालना की पुष्टि करते समय **''लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधित रूप से पढ़े जाने व विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रकरण पुनः प्रस्तुत किये जाने का प्रेक्षण किया गया ।''** अतः विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की स्कॉलरशीप हेतु अब चूंकि बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी हे । अतः जिस विभाग में विद्यार्थी अध्ययनरत है उसी विभाग के विभगाध्यक्ष के द्वारा स्कॉलरशीप से संबंधित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण पुनः विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	
निर्णय	**उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 04	विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 के निर्णय संख्या 10 पर निम्नलिखित मद प्रस्तुत किया गया थाः- **''माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार गठित CORA (Committee for Ordinance/Regulations amendment) समिति की बैठक दिनांक 05.06.2023 (कार्यसूची का परिशिष्ट-10) को आयोजित हुई । उक्त बैठक की अनुशंसाएं विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।''** उक्त मद पर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः- **उक्त मद पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि**	**नोडल अधिकारी-NEP /शैक्षणिक-I**

	राज्य सरकार के निर्देशों को आधार मानते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा ग्रेड के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुधार करने के उपरान्त प्रकरण आगामी विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय । अतः विद्या परिषद् के निर्णय के क्रम में प्रकरण पुनः विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-2)**	
निर्णय	**उक्त मद पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उक्त वर्णित निर्णय संख्या 02 पर गठित समिति उक्त अध्यादेशों का परीक्षण कर दो सप्ताह में अपनी अनुशंसाएं माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी । समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।**	
मद सं0 05	विद्या परिषद् की 71वीं बैठक दिनांक 30.06.2023 के मद संख्या 16 पर प्रस्तुत अध्यादेश Ord.124 को सत्र 2023-24 से लागू करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था । बैठक में विचार-विमर्श के दौरान दिये गये आवश्यक सुझाव को संशोधित शोध अध्यादेश Ord. 124 में सम्मिलित कर लिया गया है । अतः इस अध्यादेश को सत्र 2023-24 से लागू करने हेतु प्रकरण पुनः विद्या परिषद् की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ट-3)**	
निर्णय	**उक्त संशोधित शोध अध्यादेश को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।**	
मद सं0 06	विद्या परिषद् की 71वीं बैठक में नई शिक्षा नीति-2020 के अनुसार बी.एससी. ऑनर्स बॉटनी/एम.एससी. बॉटनी पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ रखा गया था । विद्या परिषद् के निर्णयानुसार आगामी विद्या परिषद् की बैठक में उक्त मद पुनः रखा जाना है । अतः उक्त मद विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	**प्रो. अरविन्द पारीक**
निर्णय	**उक्त मद पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया । यह पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप है एवं विश्वविद्यालय की डिग्री की सूची में भी इसका नाम है तथा विद्या परिषद् एवं प्रबन्ध बोर्ड के निर्णयानुसार किसी भी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किया जा सकता है । अतः बी.एससी. ऑनर्स बॉटनी कोर्स को विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित स्कीम में प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय पर प्रो. रीटा मेहरा के अतिरिक्त सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जतायी ।**	

मद सं0 07	<u>उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्णय भी लिया गयाः-</u> 1. प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा के द्वारा **M.Ed. Special Education (I.D.)** का पाठ्यक्रम विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लागू किया जाय ।	शैक्षणिक-I

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

10.7.23
कुलपति

10/7/23
कुलसचिव

परिशिष्ट-1

DR(A-I)
[illegible]
10/7/23

Department of Pure & Applied Chemistry

Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer-305009

Dr. R. Mehra
Professor & Head

Telephone-
Off: 0145-2787056, 2787058
Ext: 292

No.F () DPAC/2023-24/8

Date: 10.7.2023

Registrar
MDS University
Ajmer

Sir

In the meeting of Academic Council held on 30.6.2023 at Agenda Item No. 9 , I had submitted by note of dissent with respect to starting B.Sc.Hons /M.Sc.Integrated Botany Programme from 2023-24 .One of the legitimate reasons besides others was that first the Degree has to be instituted /established and the basis of which is a page of Ordinance**[Encl. No.1]** showing that the said degree has not been assigned to the Faculty of Science. Likewise , in the meeting held on 30.6.2023 , at Agenda Item No. 4 , the PG Diploma in Artificial Intelligenc and Data Science was proposed by the Board of Studies in Computers . This diploma also cannot be started because this Diploma has not been assigned to the Faculty of Science in the above **[Enclosure No.1.]**. This fact had recently come to my knowledge, hence on the same footing as of Agenda Item No. 9, **my dissent may please be treated as applicable wrt** starting of this Diploma in Artificial Intelligence and Data Science from 2023-24.

This is for your information and **necessary action.**

Truly

(Dr.Rita Mehra)
~~Member~~, Academic Council
MDS University
Ajmer

Encl. One (As above)

Encl 1

Faculty of Science

O. 19. The following shall be the Degrees, Diplomas and Certificates assigned to the Faculty of Science :-

Degrees :

1. Bachelor of Science Pass (B.Sc. Pass)
2. Bachelor of Science Honours (B.Sc. Hons.)
3. Bachelor of Science (Information Technology)
4. Bachelor of Science (Home Sc.)
5. Bachelor of Computer Applications (B.C.A)
6. Bachelor of Nursing (B.Nursing)
7. Master of Science (Applied Chemistry)
8. Master of Science (Biotechnology)
9. Master of Science (Botany)
10. Master of Science (Chemistry)
11. Master of Science (Computer Science)
12. Master of Science (Environmental Studies)
13. Master of Science (Food & Nutrition)
14. Master of Science (Geography)
15. Master of Science (Geology)
16. Master of Science (Information Technology)
17. Master of Science (Mathematics)
18. Master of Science (Microbiology)
19. Master of Science (Pharmaceutical Chemistry)
20. Master of Science (Remote Sensing)
21. Master of Science (Zoology)
22. Master of Science (Physics)
23. Master of Computer Applications (MCA)
24. Master of Philosophy (M.Phil.)
25. Doctor of Philosophy (Ph.D.)
26. Doctor of Science (D.Sc.)

Diplomas :

1. Post Graduate Diploma in Computer Applications (PGDCA)
2. Post Graduate Diploma in Digital Instrumentation & Microcomopriter Interfacting
3. Post Graduate Diploma in Lab Technology & Instrumentation
4. PG Diploma in Dietetics & Institutional Food Service Management
5. Post Graduate Diploma in Textile Chemistry
6. Diploma in Film Technology
7. Diploma in Pharmacy

परिशिष्ट-2

Note of Dissent in Agenda Item No. 15 with respect to O.124.19 (2) on Page 17 and in Note at Page 43 with respect to preparation of panel of experts for evaluation of thesis:

Prof.Rita Mehra dissented. The requirement for the post of Professors in UG and PG Colleges is not the same as that for the post of Professors in Universities. Even UGC Regulations corroborate the same. Therefore only University Professors, whether of State or Central Universities should be included in the Panel of Examination of Ph.D.Thesis to avoid dilution of academic and research standards .

10.7.2023